फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

इन्द्राज आदि बनाम परमेश्वरी कौर

किस्म मुकदमा:– 88, 188, 209 RTA प्रकरण संख्या:– 255/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/12/24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अधि. मुताबिक राजीनामा वाद परिणाम एवं प्रतिवाद प्रतिपरिणाम स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया जाता है। डिक्री जारी हो। निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2023/101

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 255 /2023 GCMS:- 2023/101 दायर दिनांक : 20.09.2023

1. इन्द्राज
2. बालूराम
3. सुभाषचन्द्र
4. कालूराम
5. गिरधारीलाल

पुत्रगण जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—वादीगण

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नी जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. सुषमा देवी पुत्री जगमाल पत्नी संदीप कुमार जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला हाल आबाद वार्ड नं. 24 पुराना, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. जनकलाल पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. व्यवस्थापक पूर्व ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक, शाखा निरवाणा तहसील सूरतगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. उप–पंजीयक, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री भगवान दत्त शर्मा व श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषकगण वादीगण
2. श्री बाबू लाल चाण्डक, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 3
3. पैरोकार राज

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 11.12.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित।

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के पति/पिता के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 8 एन.आर.डी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता सं. 8/7 के पत्थर नं. 98/316 (20) के किला नं. 1/1 में 0.025 है0, 1/3 में 0.177 है0, 2/1 में 0.228 है0, 2/2 में 0.025 है0, 3/1 में 0.228 है0, 3/2 में 0.025 है0, 4/1 में 0.228 है0, 4/2 में 0.025है0, 5/1 में 0.203 है0, 5/2 में 0.050 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 7/0.253 है0 = 1.720 है0 (1.064 है0 कमाण्ड, 0.481 है0 अनकमाण्ड व 0.175 है0 खाला) भूमि व चक 1 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 18/25 के पत्थर नं. 98/309 (12) के किला नं. 1 से 5 =1.265 है0 व पत्थर नं. 98/310 (17) के किला नं. 1 से 3, 8 से 13 = 2.277 है0, कुल 3.542 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अंकित काश्तकार जगमाल उर्फ जगराम पुत्र नन्दराम द्वारा दिनांक 19.12.2011 को एक वसीयत निष्पादित की गयी जिसमें उन्होंने अपने नाम अंकित उक्त खातेदारी कृषि भूमि चक 8 एन.आर.डी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता सं. 8/7 में अंकित कुल 1.720 है0 (1.064 है0 कमाण्ड, 0.481 है0 अनकमाण्ड व 0.175 है0 खाला) भूमि की वसीयत वादीगण सं. 4 व 5 के पक्ष में प्रत्येक को 1/2 हिस्सा एवं चक 1 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के के खाता सं. 18/25 में अंकित कुल 3.542 है0 कमाण्ड भूमि की वसीयत वादीगण सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में प्रत्येक को 1/4 हिस्सा की निष्पादित कर दी है व यह इच्छा प्रकट की गई कि उनकी कृषि भूमि में से पुत्री व पत्नी को बतौर वारिस कोई भी हिस्सा देना नहीं चाहते। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के पति/पिता का देहावसान दिनांक 25.09.2022 को हो चुका है, व उक्त वसीयत पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई है। जगमाल उर्फ जगराम पुत्र नन्दराम ने ... पूर्व ही अपनी समस्त भूमि का कब्जा अपने जीवनकाल में ... व प्रतिवादी सं. 3 को दे दिया व मौखिक निर्देश दिये कि ... वसीयत अनुसार अपने–अपने हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: Self Attested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

का नामान्तरण करवा लेना और इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 अपने पिता के नाम अंकित उक्त भूमि काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को वसीयत में कोई हिस्सा नहीं दिया, इसलिए वे नाराज होकर प्रतिवादी सं. 3 के साथ मिल गई और प्रतिवादी सं. 3 ने वसीयत को छुपाकर विरासतन इन्तकाल प्रत्येक वारिस का 1/8–1/8 हिस्सा दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का मौका पर कतई कब्जा काश्त नहीं है। नामान्तरण कतई गलत व वादीगण के हितों पर अप्रभावी है। धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार निर्वसीयत सम्पत्ति का नामान्तरण इस धारा के अनुसार किया जा सकता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार वसीयत के आधार पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण करवाने के लिए कहा लेकिन वे टालमटोल करते हुए स्पष्ट इन्कार हो गये, इसलिए वादीगण ने वाद–पत्र के साथ जमाबन्दी, नामान्तरण की प्रमाणित प्रति व वसीयत की चित्रप्रति प्रस्तुत कर चक 1 आर.एम. नामान्तरण सं. 267 दिनांक 20.07.2023 बाबत भूमि पत्थर नं. 98/309 व 98/310 की कुल 3.542 है0 भूमि अंकित काश्तकार जगमाल की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान प्रत्येक का 1/8 हिस्से का किया गया है, उसे वादीगण के हितों पर अप्रभावी व निरस्त मानते हुए चक 1 आर.एम. जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 18/25 के पत्थर नं. 98/309 (12) के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0 व पत्थर नं. 98/310 (17) के किला नं. 1 से 3, 8 से 13 = 2.277 है0, कुल 3.542 है0 कमाण्ड भूमि का वसीयत अनुसार वादीगण सं. 1 से 3 इन्द्राज, बालूराम, सुभाषचन्द्र प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से यानि 3/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करने व इसी अनुसार चक 8 एन.आर.डी. के नामान्तरण सं. 307 दिनांक 20.07.2023 बाबत भूमि पत्थर नं. 98/316 की कुल 1.720 है0 भूमि अंकित काश्तकार जगमाल की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान प्रत्येक का 1/8 हिस्से का किया गया है, उसे वादीगण के हितों पर अप्रभावी व निरस्त मानते हुए चक 8 एन.आर.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के [illegible]/7 के पत्थर नं. 98/316 (20) के किला नं. 1/1 में [illegible] 2/1 में 0.228 है0, 2/2 में 0.025 है0, 3/1 में 0.228 है0, 3/2 में [illegible].025 है0, 4/1 में 0.228 है0,

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

4/2 में 0.025 है0, 5/1 में 0.203 है0, 5/2 में 0.050 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 7/0.253 है0 = 1.720 है0 (1.064 है0 कमाण्ड, 0.481 है0 अनकमाण्ड व 0.175 है0 खाला) भूमि का वसीयत अनुसार वादीगण सं. 4, 5 कालूराम, गिरधारीलाल प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने जरिये अभिभाषक जवाब दावा मय प्रतिवाद–पत्र प्रस्तुत कर, वाद में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादीगण वाद–पत्र में दर्ज कथनों की पुष्टि में व वादाधीन समस्त कृषि भूमि मृतक जगमाल की स्वःअर्जित कृषि भूमि है, इसके सम्बन्ध में असल दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। प्रतिवादी सं. 1 के पति व प्रतिवादीगण सं. 2–3 के पिता स्व. जगमाल पुत्र नन्दराम ने अपने जीवनकाल में चक 1 आर.एम. व चक 8 एन.आर.डी. में स्थित अपने नाम की कृषि भूमि की बाबत किसी के पक्ष में कोई भी दस्तावेज निष्पादित नहीं किया था। वादीगण ने असल दस्तावेज प्रतिवादी सं. 3 के पास होना अंकित किया है, जो कि बेमानी व आधारहीन है। स्व. जगमाल अपने जीवनकाल में कानूनी रूप से वसीयत करने के अधिकारी नहीं थे व ना ही उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया था। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को वादाधीन कृषि भूमि में कानूनी रूप से निहित हक व हिस्सा से वंचित करने के लिए षडयन्त्रपूर्वक योजना तैयार कर वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद में दर्ज समस्त कथन असत्य, विधि विरुद्ध व आधारहीन होने एवं बिना दस्तावेजी प्रमाणों के प्रस्तुत किये जाने के कारण वाद वादी निरस्त किये जाने का निवेदन किया एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 के पति व प्रतिवादीगण सं. 2–3 एवं वादीगण के पिता जगमाल पुत्र नन्दराम के नाम से चक 1 आर.एम. के पत्थर नं. 98/309 (12) के किला नं. 1 से 5 = [illegible] है0 व पत्थर नं. 98/310 (17) के किला नं. 1 से 3, 8 से 13 = 2.277 है0 कुल 3.542 है0 कमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 98/309 (12) के किला नं. 6 से 8, 9/2 में 0.126 है0, 15/2 में 0.012 है0, 16/1 में 0.012 है0, 25/2 में 0.011 है0 = 0.920 है0 कमाण्ड एवं

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

चक 8 एन.आर.डी. के पत्थर नं. 98/316 (20) के किला नं. 1/1 में 0.025 है0, 1/3 में 0.177 है0, 2/1 में 0.228 है0, 2/2 में 0.025है0, 3/1 में 0.228 है0, 3/2 में 0.025 है0, 4/1 में 0.228 है0, 4/2 में 0.025है0, 5/1 में 0.203 है0, 5/2 में 0.050 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 7/0.253 है0 = 1.720 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जगमाल पुत्र नन्दराम का दिनांक 25.09.2022 को देहान्त हो जाने के उपरान्त उक्त भूमि समस्त आठ वारिसान के नाम से बहिस्सा बराबर विरासतन दर्ज हो गई और हिस्सा अनुसार दोनों चकों की कृषि भूमि पर सभी सहखातेदारों का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके पश्चात् वादीगण की नियत खराब होने लगी और षडयन्त्रपूर्वक कारित योजना के अनुसरण में दोनों चकों में स्थित वादाधीन कृषि भूमि के सम्बन्ध में विरासतन आदेशों के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही शुरू की है। वास्तविकता यह है कि चक 1 आर.एम. में स्थित कृषि भूमि स्व. जगमाल को विरासत में प्राप्त हुई कृषि भूमि थी, उनकी स्वःअर्जित कृषि भूमि नहीं थी। ऐसी स्थिति में वादीगण ने वाद में जिस वसीयत दिनांक 19.12.2011 का उल्लेख किया है, वह स्पष्टतः कूटरचित व षडयन्त्रपूर्वक योजना के अनुसरण में की गई एक विधि विरुद्ध कार्यवाही है। इस प्रकार के दस्तावेजों के आधार पर वादीगण किसी भी प्रकार की घोषणा अथवा अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में चक 1 आर.एम. व 8 एन.आर.डी. में सहखातेदारों की संख्या अधिक हो चुकी है व वादीगण की नियत भी खराब हो चुकी है, इसलिए संयुक्त खाता में दर्ज वाके चक 1 आर.एम. के खाता सं. 17/12 व 18/25 तथा चक 8 एन. आर.डी. के खाता सं. 8/7 में स्थित कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हिस्सानुसार रास्ता व खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किला नम्बर वाईज विभाजन स्वीकार किये जाने व राजस्व रकम अलग–अलग कायम किये जाने [illegible] किया। जवाब दावा मय प्रतिवाद–पत्र के साथ जमाबन्दियों की प्रमाणित प्रतियां व जगमाल पुत्र नन्दराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति संलग्न की।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा प्रस्तुत

क्रमशः ..... पेज 6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कर निवेदन किया कि वाद एवं प्रतिदावा के बाद समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा करवा दिया गया है, जिस पर सभी पक्षकारान सहमत हैं और राजीनामा के आधार पर पक्षकारान वाद व प्रतिदावा को डिक्री करवाना चाहते हैं, इसलिए वाद–पत्र को आज ही तारीख पेशी में लेकर वाद व प्रतिदावा को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को शामिल मिसल कर पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को अदालत द्वारा पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर दोनों पक्षकारों द्वारा अपनी स्वेच्छा से स्वीकर किये जाने और वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 की शिनाख्त उनके अभिभाषकगण द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। मुताबिक राजीनामा वाद एवं प्रतिदावा के बाद समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के मध्य आपसी राजीनामा करवा दिया गया है, जिस पर सभी पक्षकारान सहमत हैं। प्रतिवादी सं. 2 सुषमा देवी ने उचित अनुतोष प्राप्त कर अपनी कृषि भूमि में अपना हिस्सा अपने भाइयों व माता वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 के पक्ष में छोड़ते हुए कब्जा भी संभलवा दिया है एवं इसी अनुसार इनके हिस्सा की भूमि का पक्षकारान को सक्षम न्यायालय द्वारा खातेदार घोषित कर दिया जाये तो पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा के अनुसार सभी पक्षकारान ने वाद डिक्री करने एवं खाता विभाजन करने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

न्याय की यह अवधारणा है कि पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद का निपटारा शीघ्र हो ताकि पक्षकारान का अनावश्यक धन व समय बर्बाद न हो। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के मध्य लिखित राजीनामा हो चुका है, जिसके मुताबिक प्रतिवादी सं. 2 सुषमादेवी ने अपने हकों का त्याग उचित अनुतोष प्राप्त कर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 के पक्ष में छोड़ दिया है जो उचित कार्यवाही दोनों पक्षों के मध्य [illegible] हो चुकी है। राजीनामा के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 [illegible] कृषि भूमि विभाजन निम्न प्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्र. सं.	नाम काश्तकार	चक	खाता नं.	रकबा	खाता योग	कुल योग
1.	परमेश्वरी देवी पत्नी जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 4/0.140 है0 मध्य पासा, 5/0.140 है0 पश्चिम दिशा, पत्थर नं. 98/310 किला नं. 1/0.140 है0 दक्षिण दिशा, 8/0.140 है0 पश्चिम दिशा, 10/0.140 है0 दक्षिण दिशा, 12/0.140 है0 दक्षिण दिशा	0.840 है0 कमाण्ड	0.840 है0
2.	इन्द्राज पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/310 किला नं. 10/0.077 है0 मध्य पासा	0.077 है0 कमाण्ड	1.089 है0
		8 एन.आर.डी.	8	पत्थर नं. 98/316 किला नं. 4/1 में 0.228 है0क0, 4/2 में 0.025 है0 खाला, 5/1 में 0.203 है0क0, 5/2 में 0.050 है0 खाला, 6/1 में 0.228 है0अ0क0, 6/2 में 0.025 है0 खाला, 7/0.253 है0अ0क0	0.431 है0 कमाण्ड 0.481 है0 अनकमाण्ड 0.100 है0 खाला = 1.012 है0	
3.	बालूराम पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/310 किला नं. 2/0.253 है0, 9/0.253 है0, 11/0.253 है0, 12/0.113 है0 उत्तर दिशा	0.872 है0 कमाण्ड	0.872 है0
4.	सुभाषचन्द्र पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/310 किला नं. 3/0.253 है0, 8/0.113 है0 पूर्व दिशा, 13/0.253 है0	0.619 है0 कमाण्ड	0.884 है0
			17	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 8/0.127 है0 पश्चिम दिशा, 9/2 में 0.126 है0, 15/2 में 0.012 है0	0.265 है0 कमाण्ड	
5.	कालूराम पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/310 किला नं. 1/0.113 है0 उत्तर दिशा, 10/0.036 है0 उत्तर दिशा	0.149 है0 कमाण्ड	0.857 है0
		8 एन.आर.डी.	8	पत्थर नं. 98/316 किला नं. 1/1 में 0.025 है0 खाला, 1/3 में 0.177 है0क0, 2/1 में 0.228 है0क0, 2/2 में 0.025 है0 खाला, 3/1 में 0.228 है0क0, 3/2 में 0.025 है0 खाला	0.633 है0 कमाण्ड 0.075 है0 खाला = 0.708 है0	
6.	गिरधारी लाल पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 4/0.063 है0 पूर्व दिशा, 5/0.113 है0 पूर्व दिशा	0.176 है0 कमाण्ड	0.820 है0
			17	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 6/0.253 है0, 7/0.253 है0, 8/0.126 है0 पूर्व दिशा, 16/1 [illegible]	0.644 है0 कमाण्ड	
7.	जनकलाल पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/[illegible] किला नं. 1/0.253 है0, [illegible]/0.253 है0, 3/0.253 है0, 4/0.050 है0 पश्चिम दि[illegible]	0.809 है0 कमाण्ड	0.820 है0
			17	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 25/2 में 0.011 है0	0.011 है0 कमाण्ड	

क्रमशः ..... पेज 8 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री करते हुए प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपनी पूर्ण सहमति से अपने हकों का परित्याग राजीनामा के माध्यम से मेरे समक्ष किये जाने से, प्रतिवादी सं. 2 का हक/हिस्सा कमलजन कर, उक्त हक/हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 में समायोजित करते हुए विभाजन किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	नाम काश्तकार	चक	खाता नं.	रकबा	खाता योग	कुल योग
1.	परमेश्वरी देवी पत्नी जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 4/0.140 है0 मध्य पासा, 5/0.140 है0 पश्चिम दिशा, पत्थर नं. 98/310 किला नं. 1/0.140 है0 दक्षिण दिशा, 8/0.140 है0 पश्चिम दिशा, 10/0.140 है0 दक्षिण दिशा, 12/0.140 है0 दक्षिण दिशा	0.840 है0 कमाण्ड	0.840 है0
2	इन्द्राज पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/310 किला नं. 10/0.077 है0 मध्य पासा	0.077 है0 कमाण्ड	1.089 है0
		8 एन.आर.डी.	8	पत्थर नं. 98/316 किला नं. 4/1 में 0.228 है0क0, 4/2 में 0.025 है0 खाला, 5/1 में 0.203 है0क0, 5/2 में 0.050 है0 खाला, 6/1 में 0.228 है0अ0क0, 6/2 में 0.025 है0 खाला, 7/0.253 है0अ0क0	0.431 है0 कमाण्ड 0.481 है0 अनकमाण्ड 0.100 है0 खाला = 1.012 है0	
3.	बालूराम पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/310 किला नं. 2/0.253 है0, 9/0.253 है0, 11/0.253 है0, 12/0.113 है0 उत्तर दिशा	0.872 है0 कमाण्ड	0.872 है0
4.	सुभाषचन्द्र पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/310 किला नं. 3/0.253 है0, 8/0.113 है0 पूर्व दिशा, 13/0.253 है0	0.619 है0 कमाण्ड	0.884 है0
			17	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 8/0.127 है0 पश्चिम दिशा, 9/2 में 0.126 है0, 15/2 में 0.012 है0	0.265 है0 कमाण्ड	
5.	कालूराम पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/310 किला नं. [illegible] दिशा, 10/[illegible] उत्तर दिशा	0.149 है0 कमाण्ड	0.857 है0
		8 एन.आर.डी.	8	पत्थर नं. 98/[illegible] किला नं. [illegible] है0 खाला, 1/3 में 0.177 है0क0, 2/1 में 0.228 है0क0, 2/[illegible] में 0.025 है0 खाला, 3/1 में 0.228 है0क0, 3/2 में 0.025 है0 खाला	0.633 है0 कमाण्ड 0.075 है0 खाला = 0.708 है0	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 9 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

क्र. सं.	नाम काश्तकार	चक	खाता नं.	रकबा	खाता योग	कुल योग
6.	गिरधारी लाल पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 4/0.063 है0 पूर्व दिशा, 5/0.113 है0 पूर्व दिशा	0.176 है0 कमाण्ड	0.820 है0
			17	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 6/0.253 है0, 7/0.253 है0, 8/0.126 है0 पूर्व दिशा, 16/1 में 0.012 है0	0.644 है0 कमाण्ड	
7.	जनकलाल पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 1/0.253 है0, 2/0.253 है0, 3/0.253 है0, 4/0.050 है0 पश्चिम दिशा	0.809 है0 कमाण्ड	0.820 है0
			17	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 25/2 में 0.011 है0	0.011 है0 कमाण्ड	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर पक्षकारान का अलग–अलग खाता कायम किये जाने व रकम कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यदि उक्त भूमि रहन अंकित है तो रहन का अंकन यथावत रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. इन्द्राज
2. बालूराम
3. सुभाषचन्द्र
4. कालूराम
5. गिरधारीलाल

पुत्रगण जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नी जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. सुषमा देवी पुत्री जगमाल पत्नी संदीप कुमार जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला हाल आबाद वार्ड नं. 24 पुराना, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. जनकलाल पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. व्यवस्थापक पूर्व ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक, शाखा निरवाणा तहसील सूरतगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. उप–पंजीयक, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 255 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादीगण श्री भगवान दत्त शर्मा व श्री अशोक कुमार छाबड़ा एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 श्री बाबू लाल चाण्डक तथा पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री करते हुए प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपनी पूर्ण सहमति से अपने हकों का परित्याग राजीनामा के माध्यम से मेरे समक्ष किये जाने से, प्रतिवादी सं. 2 का हक/हिस्सा कमलजन कर, उक्त हक/हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 में समायोजित करते हुए विभाजन किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	नाम काश्तकार	चक	खाता नं.	रकबा	खाता योग	कुल योग
1.	परमेश्वरी देवी पत्नी जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 4/0.140 है0 मध्य पासा, 5/0.140 है0 पश्चिम दिशा, पत्थर नं. 98/310 किला नं. 1/0.140 है0 दक्षिण दिशा, 8/0.140 है0 पश्चिम दिशा, 10/0.140 है0 दक्षिण दिशा, 12/0.140 है0 दक्षिण दिशा	0.840 है0 कमाण्ड	0.840 है0
2.	इन्द्राज पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर [illegible] 310 किला नं. 10 [illegible] 77 [illegible] ध्य पासा	0.077 है0 कमाण्ड	1.089 है0
		8 एन.आर.[illegible]	8	[illegible] किला नं. 4/1 में [illegible] 8 है0क0, 4/2 में 0.025 है0 खाला, 5/1 में 0.203 है0क0, [illegible] 2 में 0.050 है0 खाला, 6/1 में 0.228 है0अ0क0, 6/2 में 0.025 है0 खाला, 7/0.253 है0अ0क0	0.431 है0 कमाण्ड 0.481 है0 अनकमाण्ड 0.100 है0 खाला = 1.012 है0	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(डिक्री 255/2023 इन्द्राज वगैरह बनाम परमेश्वरी व अन्य)

क्र. सं.	नाम काश्तकार	चक	खाता नं.	रकबा	खाता योग	कुल योग
3.	बालूराम पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/310 किला नं. 2/0.253 है0, 9/0.253 है0, 11/0.253 है0, 12/0.113 है0 उत्तर दिशा	0.872 है0 कमाण्ड	0.872 है0
4.	सुभाषचन्द्र पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/310 किला नं. 3/0.253 है0, 8/0.113 है0 पूर्व दिशा, 13/0.253 है0	0.619 है0 कमाण्ड	0.884 है0
			17	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 8/0.127 है0 पश्चिम दिशा, 9/2 में 0.126 है0, 15/2 में 0.012 है0	0.265 है0 कमाण्ड	
5.	कालूराम पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/310 किला नं. 1/0.113 है0 उत्तर दिशा, 10/0.036 है0 उत्तर दिशा	0.149 है0 कमाण्ड	0.857 है0
		8 एन.आर.डी.	8	पत्थर नं. 98/316 किला नं. 1/1 में 0.025 है0 खाला, 1/3 में 0.177 है0क0, 2/1 में 0.228 है0क0, 2/2 में 0.025 है0 खाला, 3/1 में 0.228 है0क0, 3/2 में 0.025 है0 खाला	0.633 है0 कमाण्ड 0.075 है0 खाला = 0.708 है0	
6.	गिरधारी लाल पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 4/0.063 है0 पूर्व दिशा, 5/0.113 है0 पूर्व दिशा	0.176 है0 कमाण्ड	0.820 है0
			17	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 6/0.253 है0, 7/0.253 है0, 8/0.126 है0 पूर्व दिशा, 16/1 में 0.012 है0	0.644 है0 कमाण्ड	
7.	जनकलाल पुत्र जगमाल जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़	1 आर.एम.	18	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 1/0.253 है0, 2/0.253 है0, 3/0.253 है0, 4/0.050 है0 पश्चिम दिशा	0.809 है0 कमाण्ड	0.820 है0
			17	पत्थर नं. 98/309 किला नं. 25/2 में 0.011 है0	0.011 है0 कमाण्ड	

उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर पक्षकारान का अलग–अलग खाता कायम किये जाने व रकम कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यदि उक्त भूमि रहन अंकित है तो रहन का अंकन यथावत रखा जावे।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदी की [illegible] ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत आज दिनांक 11/12/2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)